प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए नियम और शर्तें

TERMS AND CONDITIONS FOR ESTABLISHMENT OF STUDY CENTRE

संजीवनी केयर एंड केयर सोसाइटी की स्थापना करने के लिए कोई भी व्यक्ति/स्वैच्छिक संस्था/स्कूल/कालेज व कम्प्यूटर सेन्टर आदि को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु तीन सत्र का अनुबंध प्रदान करती है। तदोपरांत उसके कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध को पुनः आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु निम्नलिखित शर्ते व पात्रता है

1. परीक्षा केन्द्र स्थापनार्थ आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर निश्चित तिथि तक किया जाना चाहिए।

2. आवेदन, आवेदक द्वारा अथवा संस्था के अध्यक्ष / सचिव अथवा विद्यालय/कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र के साथ किया जाना चाहिए।

3.केन्द्र स्थापनार्थ शुल्क रु 12500(बारह हज़ार पाँच सौ) मात्र डी०डी० /चेक/कैश देय होगा।

4. आवेदन रजि. संस्था द्वारा किया जाने की स्थिति में नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न की जानी चाहिए।

5. आवेदन पत्र पर फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा प्रमाणित होनी बाहिए।

6. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं निवास पहचान पत्र की प्रतिलिपि

संलग्न करें।

परीक्षा केन्द्र स्वीकृति के नियम:

1. संजीवनी केयर एंड केयर सोसाइटी एक विश्वसनीय शिक्षण संस्था जो Govt. of NCTE Delhi से मान्यता प्राप्त है, तथा आइसो, क्वीसीआई सर्टिफाइड है, जो दूरस्थ शिक्षा का कार्यभार सौंप रखा है जो सभी को शिक्षित प्रशिक्षित करने को लिए प्रदेश/जनपद स्तर पर सूचना एवं प्रशिक्षण केन्द्र / परीक्षा केन्द्रों के प्रतिनिधियों को इसी संस्था के निर्देशन में कार्य करना होगा तथा उका संस्था के अनुमोदन पर ही केन्द्र स्थापित होते हैं।

2 . वर्तमान में संस्था के नियमानुसार तीन सत्र के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की जायेगी

3. किसी भी केन्द्र को अपना केन्द्र या ब्रान्च बनाने की अनुमति नहीं होगी।

4. किसी भी केन्द्र का कार्य क्षेत्र संस्था की अनुमति के अनुसार होगा।

प्रतिनिधि/केंद्र अध्यक्ष के अधिकार/कर्तव्य/कार्य:

1. प्रशिक्षण/अध्यापन एवं प्रचार / प्रसार सामाग्री का वितरण करना।

2. केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा की व्यवस्था करना व संस्थान के अनुमोदन के आधार पर कक्ष निरीक्षक / परीक्षक की नियुक्ति करना।

3. परीक्षा प्रपत्र परीक्षा सामाग्री संस्थान के कार्यालय से एकत्रित कर सुरक्षित भण्डारण एवं गोपनीयता का निर्वाह करना तथा समय-समय पर सम्बन्धित केन्द्रों पर वितरण कराना।

4. प्रशिक्षण केन्द्र के सभी प्रशिक्षण एवं वेतन आदि के खर्चे को केन्द्राध्यक्ष को वहन करना होगा।

5. संस्था के समस्त कोर्स को सफल संचालन हेतु प्रचार / प्रसार का खर्च स्वयं केन्द्राध्यक्ष को वहन करना होगा। ६. केन्द्राध्यक्ष को प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थी के प्रवेश फार्म 30 दिन के अन्दर संस्थान को प्रेषित करने होंगे।

7. प्रवेश शुल्क तथा प्रवेश फार्म प्राप्त हाने की दशा में ही संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थी को आई. कार्ड तथा नामांकन प्रदान किया जायेगा।

8. कंन्द्राध्यक्ष को सभी पंजीकृत प्रशिक्षणार्थी की पंजिका बननी होगी तथा संस्थान के प्रतिनिधि को निरीक्षण हेतु

मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। 9. प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु परीक्षक की व्यवस्था केन्द्राध्यक्ष को करनी होगी।

10. यह समस्त कार्य जो संस्थान के कार्य संचालन हेतु समय-समय पर निर्देशित किए जाएं/आदेशित किये जॉए का परिपालन एवं संस्थान के हित में स्वविवेक से वह समस्त कार्य करना जो विधि सम्मत हो तथा संस्थान द्वारा निर्धारित अंचार संहिता के अनुकूल हो।

11. किसी भी असुविधा के लिए कार्यालय दिवस या फोन पर वार्ता कर समाधान कर सकते है।

12. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में हिन्दी मान्य होगी। अंग्रेजी मात्र अनुवाद है।

13. संस्था के नियम / गरिमा के विरुद्ध कार्य करने पर बिना पूर्व सूचना दिए केन्द्र निरस्त कर दिया जाएगा। समस्त हरजे खरचे की जिम्मेदारी केन्द्राध्यक्ष की होगी।

14. किसी भी केन्द्राध्यक्ष का इस संस्थान से सम्बन्धित कोई विवाद है तो वह **संजीवनी केयर एंड केयर सोसायटी, लखनऊ** द्वारा गठित समिति द्वारा ही निपटाया जाएगा । समिति का निर्णय अन्तिम निर्णय माना जायेगा। सीधे न्यायालय की कार्यवाही अवमान्य होगी और किसी भी वाद-विवाद का न्यायिक क्षेत्र मात्र लखनऊ होगी।

वेतन:1. पंजीकरण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त लिये गये सभी शुल्को पर केन्द्राध्यक्ष (अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र) का अधिकार होगा।

विशेष कार्य:

1. संस्था द्वारा केन्द्र का विवरण पत्रिका (प्रवेश फार्म सहित) रू0 100/- के नगद मूल्य पर उपलब्ध करायी जायेगी। जिसका मुदित मूल्य रू. 125/ है।

2. वार्षिक परीक्षाएं कोर्स के अनुसार मई, जून, सितम्बर दिसम्बर में होगी। प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे।

3. वार्षिक परीक्षा उपरान्त छात्रों को प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **संजीवनी केयर एंड केयर सोसायटी** द्वारा प्रदान किया जायेगा।

4. अनसॉल्वड प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न पत्र, सैलेबस वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं तथा प्रश्न पत्र आदि समस्त सामग्री केन्द्राध्यक्ष को संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

5. केन्द्र को संस्थान द्वारा सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तकें 25% छूट के साथ नगद मूल्य पर उपलब्ध करायी जायेंगी।

6. 8X3 फीट का एक फ्लैक्स बैनर तथा विषय का किताब दिया जायेगा।

कोरियर से मंगाने की दशा में रू. 50 प्रति किलो कोरियर खर्च अतिरिक्त लिया जायेगा। 6

पत्रचार का पता **निदेशक P K MISHRA,133/82 Awas Vikas Hanspuram,Naubasta,kanpur Nagar-208017**

संस्था का उद्देश्य छात्रो/छात्राओ को शिक्षित प्रशिक्षित करना है तथा शिक्षा को बढ़ावा देना है एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना है।

प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता हेतु आवश्यक मानदंड:

समिति की नवीनीकृत पंजीयन पत्र।

समिति की सूची।

प्रबन्धक / मैनेजर की रंगीन फोटो, पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि।

पैन कार्ड की कापी।

प्रशिक्षण केन्द्र भवन की रंगीन फोटो।

10 रूपये की स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र।

(ए) आधारभूत बुनियादी सुविधाएं -

1. कक्षा एवं प्रयोग के लिए कम से कम 500/700 वर्ग फुट क्षेत्रफल का हवादार एवं प्रकाश युक्त कक्ष/वाइट बोर्ड की भी व्यवस्था हो।

2. कार्यालय के लिए अन्य उपकरण कम्प्यूटर / लैपटॉप और प्रिंटर फोटोकॉपीअर (वैकल्पिक) प्रोजेक्टर।

भौतिक सुलम-सुविधाएं पेयजल, शौचालय, आदि की बेहतर व्यवस्था हो।

3. 4. पुस्तकालय सुविधा लगभग सम्बन्धित विषय से 25-30 किताबें हों।

(बी) संकाय और सहायक स्टाफ-

1. शिक्षक प्रशिक्षित विषय में किसी मान्यता प्राप्त वि०वि० से पी०जी० एवं दो वर्ष का अनुभव हो।

2. रिसेप्शनिस्ट / क्लर्क 01

3. कार्यालय सहायक 02